न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर
राजस्व वाद सख्या– 52/2012

1. हीरा वयस्क पुत्र काना
2. मेथा वयस्क पुत्र रूपा
3. सायर वयस्क पुत्र छोटू
4. अजमाल वयस्क पुत्र छोटू

समस्त जाति मेहरात, निवासी ग्राम सूरजपुरा, तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0 .....वादी

बनाम

1. नजीर वयस्क पुत्र श्री अली
2. बाबू अली वयस्क पुत्र स्व0 श्री अल्लानूर
3. मुबारक अली वयस्क पुत्र श्री अल्लानूर
4. अजमल अली वयस्क पुत्र श्री अल्लानूर
5. नक्की मोहम्मद वयस्क पुत्र श्री अल्लानुर
6. श्रीमती बतूल वयस्क पुत्री श्री अल्लानुर
7. श्रीमती मदीना वयस्क पुत्री श्री अल्लानुर
8. श्रीमती जेनब वयस्क पुत्री श्रीअल्लानुर
9. श्रीमती जडाव वयस्क पत्नी श्री अल्लानुर
10. बहादुर वल्द अजीमा
11. अम्मी वल्द हांसा

समस्त जाति सैयद ,निवासी ग्राम सुरजपुरा,तहसील मसूदा जिला अजमेर (राज)

12. बाबू वल्द छोटू ,जाति मेहरात,निवासी ग्राम सुरजपुरा,तहसील मसूदा जिला अजमेर
13. तहसीलदार मसूदा बेजरिये लैंण्ड होल्डर एवं पंजीयन अधिकारी मसूदा ....प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 92–ए, 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियिम व धारा 136भू राजस्व अधिनियम</u>

निर्णय

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

दिनांक 7–12–16

प्रकरण में प्रतिवादी सख्या 2 बाबू ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि यह वाद जिन प्रतिवादीगण के विरूद्व लाया गया है उनमें से प्रतिवादी सख्या 10 बहादुर वल्द उजीमा एवं प्रतिवादी सख्या 11 अम्मी वल्द हांसा का 15 वर्ष पूर्व निधन हो चुका हैं। वादीगण मृतक व्यक्तियों के विरूद्व इस वाद पत्र

पर डिक्री पारित करवाना चाहते है जो न्यायनिधि के विरूद्व है। अतः वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र 212 सव्यय निरस्त फरमाई जावे।

वादीगण को जवाब प्रार्थना पत्र हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये लेकिन कोई जवाब पेश नही किया । बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई वकील प्रतिवादी गण के तर्क रहे कि प्रतिवादी सं 10 व 11की मृत्यु 15 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। बावजुद इसके मृतक व्यक्तियो के विरूद्व यह वाद लाये है जो विधि कें प्रावधानानुसार मृतक व्यक्तियो के विरूद्व चलने योग्य नही है।

अतः वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। वितर्क में वकील वादीगण ने निवेदन किया कि यह जानकारी सम्मन पर आई रिपोर्ट से हई हैं। इसलिए प्रतिवादी सख्या 10–11 की मोजूदगी में वाद पेश किया गया है जिस पर उनके वारिसान को अभिलेख पर लिया जा सकता है। मै विधिक रूप से LR को रिकार्ड पर लाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दुंगा।

बहस के परिपेक्ष में पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि ग्राम सुरजपुरा पटवार क्षेत्र खरवा तहसील मसूदा की जमाबंदी संवत् 2065 से 2068के खाता संख्या 82 में विवादित आराजी ख0न0 6092 रक्बा 3–19–00 व 6095 रक्बा 4–02–00 बीधा प्रतिवादी सख्या 1 नजीर अली व प्रतिवादी संख्या 2 से 09 तथा प्रतिवादी सं 10 व 11के नाम खातेदारी में दर्ज है। वादीगण वाद पत्र के पद सख्या 5 में स्पष्ट रूप से यह कहकर आये है कि राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से संवत् 2042 से 2043 कि जमाबन्दी में प्रतिवादी सख्या 1 व स्व0 सादिक अली व बहादुर वल्द अजीमा एवं अम्मी वल्द हांसा के नाम विवादित आराजियात लगा दी गई हें। ऐसी स्थिति में वकील वादीगण के यह तर्क कि उन्हे जानकारी सम्मनो पर आई रिपोर्ट से हुई हैं मान्य नही है। वादीगण मूलतः वाद ही बावजूद जानकारी के मृतक व्यक्तियों के विरूध लाए है ऐसे में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है अतः स्वीकार किया जाता है ओर वाद वादीगण जों ग्राम सुरजपुरा पटवार क्षेत्र खरवा तहसील मसूदा स्थित आराजी ख0 न0 6092 व 6095 के लिए लाए है सव्यय निरस्त किया जाता है। वाद खर्च पक्ष कारान अपना अपना वहन करें। (यथानुसार डिक्री जारी हो)

निर्णय आज दिनांक 7–12–16 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.14 11:12:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: